

प्राकृतिक आपदा अनुदान

<p>प्राकृतिक आपदा अनुदान – हवलदार रैंक (जीवित न होने की दशा में जे0सी0ओ0 रैंक) तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाएँ जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुये हों को तात्कालिक एकमुश्त रू0 10,000/– तक की आर्थिक सहायता। (अधिकतम 25 लाभार्थी प्रतिवर्ष)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने सम्बन्धी ग्राम प्रधान/सभासद का प्रमाण पत्र।2. प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक की प्रमाणित छायाप्रति।3. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण।4. ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रदत्त पूर्व सैनिक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।5. वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू0 1.20 लाख।6. प्रार्थना पत्र प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की तिथि से 06 माह के अन्दर निधि कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।7. इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त न होने सम्बन्धी ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
--	--